164

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल भवन बी– ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून–248
दूरभाष :– 0135-2676260, फैक्स :– 0135-2676177.

पत्रांक 1516 / वि0अनु0 / 02 / शा0अनु0–216909(15) / 2024–25 दिनांक : 15/11/24

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
टिहरी / पिथौरागढ़।

विषयः जनपद टिहरी गढ़वाल एवं पिथौरागढ़ में 07 राजकीय भवनों पर वर्षा जल संरक्षण प्रणाली (**Rain Water Harvesting System**) अधिष्ठापन के कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं0–216909 / 2024 / ई0प0सं0 28455–2(65पे0) / 2019 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 10 जून, 2024 से जनपद टिहरी गढ़वाल एवं पिथौरागढ़ में 07 भवनों पर वर्षा जल संरक्षण प्रणाली (Rain Water Harvesting System) के अधिष्ठापित कार्यों की विभागीय टी.ए.सी. द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल लागत **₹ 102.66** लाख (₹ एक करोड़ दो लाख छियासठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत की गयी है।

आपको शासनादेश की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि टी0ए0सी0 से परीक्षित प्राक्कलन की नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं शासनादेश में वर्णित दिशा निर्देशों, शर्तो एंव अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का नियमानुसार अनुपालन करते हुए उपयोगिता समयान्तर्गत प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि यह कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–शासनादेश की प्रति।

(मनीष सेमवाल)
सचिव अप्रैजल

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, (मु0) देहरादून / पिथौरागढ़।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, टिहरी / पिथौरागढ़।
3. टी0ए0सी0 अनुभाग, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन, नेहरू कालोनी, देहरादून।

सचिव अप्रैजल

(14)

DWS-BUD/SS/45/2022-XXIX-2-Drinking Water Department

ई0पत्रसं0 28456-2(ग्रं0) / 2019

प्रेषक,

कर्मेन्द्र सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 10 जून, 2024

विषयः– जनपद टिहरी गढवाल एवं पिथौरागढ़ में 07 राजकीय भवनों पर वर्षा जल संरक्षण प्रणाली (Rain Water Harvesting System) अधिष्ठापन के कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–6236 / टी0ए0सी0 / 2023–24 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 एवं 361 / टी0ए0सी0 / 2024–25 दिनांक 22 अप्रैल, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढवाल एवं पिथौरागढ़ में निम्नलिखित राजकीय भवनों पर वर्षा जल संरक्षण प्रणाली (Rain Water Harvesting System) के अधिष्ठापन कार्यों की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल लागत ₹ 102.66 लाख (₹ एक करोड दो लाख छियासठ हजार मात्र) धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 में इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	योजना का नाम	कुल स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
01	जनपद टिहरी गढवाल में नई टिहरी शाखा के अन्तर्गत तहसील भवन पर वर्षा जल संरक्षण प्रणाली निर्मित किए जाने की योजना।	14.86	14.86
02	जनपद टिहरी गढवाल में नई टिहरी शाखा के अन्तर्गत रा0ई0का0 मन्दार जाखणीधार के भवन पर वर्षा जल संरक्षण प्रणाली निर्मित किए जाने की योजना।	14.35	14.35
03	जनपद टिहरी गढवाल में नई टिहरी शाखा के अन्तर्गत रा0उ0प्रा0वि0 नैल के भवन पर वर्षा जल संरक्षण प्रणाली निर्मित किए जाने की योजना।	16.06	16.06
04	जनपद पिथौरागढ की पिथौरागढ शाखा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज अस्कोट, पिथौरागढ में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली निर्मित किए जाने की योजना।	13.77	13.77
05	जनपद पिथौरागढ की पिथौरागढ शाखा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज कनालीछीना, पिथौरागढ में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली निर्मित किए जाने की योजना।	14.37	14.37
06	जनपद पिथौरागढ की पिथौरागढ शाखा के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज मुवानी, पिथौरागढ में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली निर्मित किए जाने की योजना।	14.73	14.73
07	जनपद पिथौरागढ की पिथौरागढ शाखा के अन्तर्गत बी0डी0 ओझा राजकीय इण्टर कालेज सिघाली, पिथौरागढ में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली निर्मित किए जाने की योजना।	14.52	14.52
	कुल लागत	102.66	102.66

/216909/2024

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा प्रश्नगत शासकीय भवनों पर वर्षा जल सरंक्षण प्रणाली का कार्य सम्बन्धित विभागों की अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत ही किया जायेगा।

(v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(vii) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(vii) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(viii) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(x) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अनुदान–00–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 संलग्न से आवंटित की जा रही है। धनराशि उपयोग हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश

संख्या–1/201358/09(150)2019/XXVII(1)2024 दिनांक 22.03.2024 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–1/201358/09(150)2019/XXVII(1)2024 दिनांक 21.03.2024 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के कम में जारी किये जा रहें है।

<u>संलग्नक–यथोपरि</u>

भवदीय

Signed by Karmendra Singh
Date: 10-06-2024 15:33:56
(कर्मेन्द्र सिंह)
अपर सचिव।

पृ0 संख्या–28455 (1)–2(85 पे0)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(विवेक कुमार जैन)
उप सचिव।